कार्यालय ग्राम पंचायत, बुढ़ानिया
तह. व जिला इन्दौर

क्र. दिनांक : 12-2-2018

प्रति,

महेश पटेल, सुनिता, जगदीश, राकन्या, संगीता, संतोष
सुनिता, एक्स्ट्रान इंडिया लि. तर्फे

बिल्डर एवं डेवलपर्स श्री अशोक शर्मा
105–107 डी एम. टॉवर 21/1 रेसकोर्स रोड़, इन्दौर

विषय–सर्वे क्र. 290/1/2, 290/2/2, 291/6/1/1/1, 291/6/1/2, 291/6/1/3/2, 306/2, 307, 289/2, 198, 201, 295, 297, 298, 300, 289 कुल रकबा 17.596 है. भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु स्वीकृत अभिन्यास में स्वीकृत ई. डब्ल्यू. एस., ब्लॉक में ई. डब्ल्यू. एस. भवन निर्माण अनुज्ञा बाबद्।

सन्दर्भ–कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, इन्दौर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा क्र. 1370/5/18 एवं कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 381/री.अ.क्र./2016 दिनांक 10 नवम्बर 2016 के सम्बन्ध में

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि मेसर्स एक्स्ट्रान रियलिटी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड तर्फे बिल्डर एवं डेवलपर्स श्री अशोक शर्मा द्वारा भूमि सर्वे क्र. 290/1/2, 290/2/2, 291/6/1/1/1, 291/6/1/2, 291/6/1/3/2, 306/2, 307, 289/2, 198, 201, 295, 297, 298, 300, 289 कुल रकबा 17.596 है. भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु स्वीकृत अभिन्यास में स्वीकृत ई.डब्ल्यू. एस. ब्लॉक में ई.डब्ल्यू.एस. भवन निर्माण की अनुमति चाही गई है। इनके आवेदन

पर कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा तकनिकी परिक्षण कर संशोधन कर भूखण्ड पर अनुज्ञा जारी करने के संबंध में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने की विधी सम्मत कार्यवाही किऐ जाने का लेख किया गया है।

इनके संदर्भित पत्र के परिपालन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन इन्हे ई. डब्ल्यू.एस. भवन निर्माण की अनुमति संलग्न मानचित्र अनुसार प्रदान की जाती है।

1. आवेदक को विधिवत भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य है।
2. नियमानुसार अन्य शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य है।
3. भवन निर्माण भूकम्परोधी तकनिक अनुसार करना अनिवार्य है।
4. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं इन्दौर विकास 2021 के प्रावधानो का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के स्वीकृत अभिन्यास/स्थल अनुमोदन उसमें आरोपित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
6. निर्माण कार्य करने के दौरान जन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
7. पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग के अलावा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते है।
8. मानचित्र में प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु फायर एनओसी की शर्तों में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
9. भारत सरकारर के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति आवश्यकता होने पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है
10. रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।
11. भवन निर्माण मापदंड निम्नानुसार रहेगें।

अधिकतम भू तल क्षेत्र 33.33 प्रतिशत अधिकतम एम.ओ.एस. मीटर में अग्र 4.50 मीटर पार्श्व 3.0 मीटर आजू 3.21 मीटर एवं बाजू 3.321 मीटर भवन ऊँचाई 12.0 मीटर कुल निर्मित युनिटों की संख्या 104 ग्राउण्ड फ्लोर ~~104~~ 26 प्रथम तल 26 द्वितीय तल 26 तृतीय 26 कुल निर्मित क्षेत्रफल तल मंजिल प्रथम मंजील द्वितीय एवं तृतीय मंजील 3621 स्केवयर मीटर इन्हें म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में उल्लेखित शर्तों नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

इन्हें समस्तत शासकीय नियमों उपनियमों एवं आदेश का पालन करना आवश्यक तथा अनिवार्य है। भूमि संबंधि किसी भी प्रकार के भू स्वामित्व विवाद होने गलत जानकारी देने एवं उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में दी गई भवन निर्माण अनुमति स्वयमेय निरस्त मानी जावेगी। किसी भी प्रकार का विधिक विवाद होने पर उपरोक्त दी गई स्वीकृत स्वयमेय निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न–(1) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय से प्राप्त शीट क्रमांक 1 व 2 जावक क्रमांक 1370/न.ग्रा.नि./2017 इन्दौर दिनांक 05.01.2018

(2) कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 381/री.अ.क्र./2016 दिनांक 10 नवम्बर 2016 की प्रतिलिपी

प्रतिलिपि– कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर की ओर सूचनार्थ

सरपंच

ग्राम पंचायत बुढ़ानिया